**चेक लिस्ट संख्या 14 – आरओसी दस्तावेज़ (फॉर्म 8, 13 और 17)**

| **क्रम संख्या** | **आवश्यकताएँ** | **हाँ / नहीं** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | यदि चार्ज में आंशिक संतुष्टि या संशोधन किया गया हो, तो **फॉर्म 8 और 13** को ROC के साथ पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। |  |  |
| **2** | यदि बंधक की पूर्ण संतुष्टि हो चुकी है, तो **फॉर्म 17 और 13** को ROC के साथ पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। |  |  |
| **3** | **फॉर्म 8 और 13** में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:(1) पोत का नाम(2) राशि(3) विमोचन की तिथि |  |  |
| **4** | यदि फॉर्म में कोई संशोधन किया गया है, तो केवल अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उस पर काउंटर सिग्नेचर किया जाना चाहिए। |  |  |
|  |  |
| **5** | **फॉर्म 8 और 13** में संपत्ति के हाइपोथेकेशन या बंधक के साधन (इंस्ट्रूमेंट) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। |  |  |
| **6** | जांचें कि बैंक के नाम में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं जिसे MMD को सूचित नहीं किया गया है परन्तु केवल ROC को किया गया हो। |  |  |
| **7** | ROC (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़) का संबंधित राज्य का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। |  |  |

**टिप्पणी:** चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न / संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद होनी चाहिए। उपर्युक्त प्रमाणीकरण और मुहर के बिना, इस कार्यालय द्वारा कोई दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।